न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 82 / 2018 / बाड़मेर

अपीलांट

1. दुर्गाराम पुत्र रामाराम जाति जाट

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.अमराराम पुत्र रामाराम
2.मेहाराम पुत्र तिलोकाराम
3.चैनाराम पुत्र तिलोकाराम
4.खेमाराम पुत्र तिलोकाराम
5.अणसी पुत्री तिलोकाराम
6.मीरों पुत्री तिलोकाराम
7.तुलछी पुत्री तिलोकाराम
8.पाबू पुत्री तिलोकाराम
9.कहनीदेवी पत्नी तिलोकाराम
10.खेमीदेवी पत्नी सताराम
11.केसरकंवर पुत्री सताराम जाति जाट निवासी पांचा की ढाणी(हीरा की ढाणी) तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर।
12.तहसीलदार गिड़ा।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बायतु द्वारा मूल राजस्व वाद संख्या 33 / 2016 बअनवान अमराराम बनाम मेहाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.06. 2018 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री कैलाश एन. नारायण अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री रिणछाराम सियाग रेस्पोडेंट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः— 05.08.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद इस आशय का पेश किया कि वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा पांचा की ढाणी पटवार क्षेत्र हीरा की ढाणी तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर में खसरा संख्या 351 रकबा 387.03 बीघा में आया हुआ है जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 से 10 का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 11 का 1/4 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का है। अपीलांट ने न्यायालय में उपस्थिति दी तथा अपीलांट ने इकबाली जबावदावा मय प्रतिदावा पेश किया गया। जिस पर वादी की साक्ष्य ली गई परन्तु प्रतिवादीगण को जिरह हेतु अवसर नहीं दिया तथा न ही प्रतिवादीगण को अपनी साक्ष्य पेश करने हेतु अवसर दिया तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 29.11.2017 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार गिड़ा से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया, जिस पर तहसीलदार स्वयं ने मौके पर न जाकर हल्का पटवारी व आर आई से विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु कहा गया। अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव बहामी बंटवाड़े व कब्जा काश्त के अनुसार तैयार नहीं किया गया तथा मौके की स्थिति व कब्जा काश्त के विपरित तैयार किया गया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 13.06.2018 को प्रार्थना–पत्र पेश कर विभाजन प्रस्ताव एकतरफा होने के कारण निरस्त कर पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाने हेतु निवेदन किया गया, जिस पर अपीलांट के प्रार्थना–पत्र को खारिज कर दिया तथा एकपक्षीय विभाजन प्रस्ताव पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार गिड़ा को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार गिड़ा द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उतरदाता/वादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियम 18 से 21 की पालना में पुनः विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार को निर्देशित किया गया। परन्तु तहसीलदार गिड़ा द्वारा पूर्वर्व में तैयार विभाजन प्रस्ताव की पुनः कॉपी करते हुए अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को विभाजन प्रस्ताव बताये बिना ही एकतरफा रूप से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 20 व 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार गिड़ा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

इसके बावजूद भी अपीलाधीन आलोच्य निर्णय डिक्री पारित कर दी गई जो कि न्यायोचित नहीं है। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्तवा के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं क्योंकि सभी पक्षकारों की सहमति से हल्का पटवारी व आर. आई. मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार उभयपक्षकारान के रूबरू विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज व तरमीम भी हो गयी है। अपीलांट द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवाड़ा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के संदर्भ में मामले का परीक्षण किया। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट के वाद का अपीलांट ने इकबाली जबाद दिया और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार गिड़ा द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया जिस पर कैम्प हीरा की ढाणी में अपीलांट ने आपत्ति पेश की कि विभाजन प्रस्ताव भौतिक कब्जा काश्त अनुसार नहीं बनाया है। प्रदत रास्ता 50 मीटर उंचाई के टिब्बे पर दिया गया है। आपत्ति खारिज कर आलोच्य निर्णय दिया है। अपीलांट के पुत्र धर्माराम द्वारा थानेदार को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में उसने स्वयं स्वीकारा है कि **"खसरे की जमीन में हमारे कब्जे में दो भागों में जमीन है जहां दोनों भागों में हमारे घर बने हुए है।"** अपीलांट को विभाजन प्रस्ताव से दो जगह पृथक–पृथक भूमि दी जाकर आवागमन हेतु रास्ता भी दिया गया है। इस रास्ते की मौके पर तस्दीक करवाने पर 50 मीटर ऊंचा टीबा होने की बात सही नहीं पाई गई है, न ही रेस्पोडेंट का कथित टांका रास्ते के बीच में आ रहा है। अपीलांट के कथन सत्य नहीं है। अपीलांट के तहसीलदार गिड़ा को दिये आपत्ति प्रार्थन–पत्र दिनांक 07.06.2018 में वर्णित दोनो **आपतियों कि- प्रथम मेरी**

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

जमीन दो टुकड़ों में है तथा दूसरी इसके लिए रास्ता भी नहीं दिया गया है।" का निराकरण प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में मौजूद है। यह विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत होने पर कैम्प के रोज ही दिनांक 13.06.2018 को मौके पर पुनः प्रार्थना–पत्र अपीलांट द्वारा दिया गया है जिसमे स्वीकारा है कि "मेरे हिस्से की जमीन दो टुकड़ों में है परन्तु मुझे दोनों भागों में आने जाने के लिए रास्ता भी संयुक्त एवं ऐसी जगह पर रखा गया है जहां 50 मीटर ऊंचाई का रेतीला टीबा है जहां आना–जाना संभव नहीं है, उपयुक्त स्थान पर रास्ता दिलावें।" इस प्रकार अपीलांट की अपीलाधीन निर्णय पर केवल एक आपति रही कि रास्ता 50 मीटर टीबा पर होने से आना जाना संभव नहीं है। इस तथ्य की पुष्टि पटवारी हल्का को मौके पर भेजकर करवा ली गई है। अपीलाधीन निर्णय से जोत विभाजन एवं संयुक्त खातेदारी में रखे रास्ते की भूमि खेत की पुरानी माठ पर होने से थोड़ी ऊंचाई पर है परन्तु दुर्गम नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज योग्य ठहरती है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु द्वारा मूल राजस्व वाद संख्या 33/2016 बअनवान अमराराम बनाम मेहाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.06.2018 को यथावत रखा जाता है।

5/8/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 05.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5/8/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner